



इण्डियन ओवरसीज बैंक

जीएलए शाखा

एन एच-19 मथुरा-दिल्ली रोड, चौमुहां, मथुरा-281406 (यु.पी.)

फोन नंबर – 7418851999 ई-मेल ID : iob1999@iob.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

[सिक्वोरिटी इंटरस्ट (एनफोर्समेंट) नियम के नियम 8(6) के प्रोविजो के तहत]

फाइनेशियल एसेट्स के सिक्वोरिटाइजेशन और रिकन्स्ट्रक्शन और सिक्वोरिटी इंटरस्ट एक्ट, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-निলামी बिक्री सूचना, जिसे सिक्वोरिटी इंटरस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रोविजो के साथ मंदा जाए।

आम जनता को और विशेष रूप से कर्ज लेने वालों और गारंटियों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि नीचे बताई गई अचल संपत्तियां, जो इंडियन ओवरसीज बैंक के पास गिरवी रखी गई हैं / चार्ज की गई हैं, जिनका कब्जा इंडियन ओवरसीज बैंक के अधिकृत अधिकारी ने ले लिया है, उन्हें "जैसा है जहां है", "जैसा है वैसे है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार बेचा जाएगा:

क्र.सं.	ऋणकर्ताओं के नाम	इण्डियन ओवरसीज बैंक को देय राशि	अचल संपत्ति का विवरण	अधिग्रहण का प्रकार	आरक्षित मूल्य घरोहर राशि जमा करने बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि
	गारंटर(री) के नाम	31.07.2026 तक	ज्ञात ऋणमार, यदि कोई : अज्ञात			ईएमडी जमा की अंतिम तिथि
1	श्री विराग अग्रवाल (उधारकर्ता) और श्रीमती कुशमा अग्रवाल स्वामी पतार आदर्श कॉलोनी प्लॉट नंबर 17, गली नंबर-2, पुलिस क्वार्टर के पीछे इन्दावन मथुरा उत्तर प्रदेश - 281121	रु. 22,25,844.42 (बाईस लाख पच्चीस हजार आठ सौ चौबालीस रुपये और ब्यालीस पैसे मात्र) *** कॉन्ट्रैक्ट की दुरी और शर्तों के अनुसार आग के ब्याज के साथ, साथ ही पूरी पैमेंट की तारीख तक हुए का चार्ज / चार्ज के अलावा।	प्लॉट नंबर 17, गली नंबर 2, मोहल्ला राधा निवास, पुलिस क्वार्टर के पीछे, मुदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281121 पर स्थित मकान / संपत्ति माप: 153.43 वर्ग मीटर गासिक: श्री सुरेश चंद अग्रवाल	सांकेतिक कब्जा	रु. 38,10,000/- 24.09.2026 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के बीच, निताभी पूरी होने तक हर बार 10 बिट का ऑटो एक्स्टेंशन।	23.09.2026 को सांघ 05.00 बजे तक

* निलामी के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया इस लिंक <https://baanknet.com> पर जाएं।

* इसे सिक्वोरिटी इंटरस्ट (एनफोर्समेंट) नियम, 2002 के नियम-8(6) / नियम 9(1) के तहत कर्ज लेने वालों / वातों और गारंटर / गारंटियों को ऊपर बताई गई तारीख को ई-निलामी होने के बारे में एक नोटिस भी माना जा सकता है।

* ईएमडी के साथ बोली के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करना 14.09.2026 को सुबह 10:00 बजे से शुरू होगा।

* ई-निलामी वेब पोर्टल [BAANKNET.com](https://baanknet.com) URL: <https://baanknet.com> के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

* निरीक्षण की तारीख: 14.09.2026 से 23.09.2026 तक सुबह 11.00 बजे से दोपहर 4.00 बजे के बीच शाख प्रबंधक के पूर्व अनुमति के अनुसार

दिनांक : 24.08.2026

स्थान : मथुरा



Home First Finance Company India Limited

CIN: L65990MH2010PLC240703 Website: homefirstindia.com

Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

कब्जा सूचना

संदर्भ : प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के उप-नियम (1) के तहत कब्जा सूचना

जैसाकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम सं. 54) के तहत होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी ने नीचे दी गई संबंधित तिथियों पर जारी मांग सूचना के अनुसार आप/नीचे नामित उधारकर्ताओं की संबंधित सूचना प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा था। हालांकि, आप/सभी उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर उक्त बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड ने सफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप-धारा (4) के प्रावधानों के साथ पठित नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों और अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित सुरक्षित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है:

क्र.सं.	उधारकर्ताओं/सह-गारंटियों के नाम	मांग	मांग सूचना की तारीख	कब्जे की तारीख
1.	भोलाशंकर बैरावा, महावीर बैरावा	प्लेट नं. 1/टीएफ/1, थर्ड फ्लोर, ब्लॉक नं. 1, ईडब्ल्यूएस श्रेणी-ए, जेपी-47: शिव शक्ति रियल होमस प्रा. लि., बगुल खुर्द, ओमेक्स सिटी, अजमेर रोड, जयपुर, जयपुर, राजस्थान, 302026; सीएमए: पूर्व-प्लेट नं. टीएफ/2, पश्चिम-खुला आसमान, उत्तर-लॉबी, दक्षिण-खुला आसमान	04-12-2025	3,17,319 22-08-2026

उधारकर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता/गारंटर और आम जनता को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर उल्लिखित तिथि पर नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

एतद्वारा उधारकर्ताओं/गारंटियों और आम जनता को आगाह किया जाता है कि वे उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों या उसके किसी भी हिस्से के साथ कोई लेनदेन न करें तथा उक्त संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के साथ किया गया कोई भी लेनदेन संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों के लिए पूर्ण भुगतान होने तक आगे के ब्याज सहित देय राशि के लिए होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान: राजस्थान, दिनांक: 25-08-2026 अधिकृत अधिकारी, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड



यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

(भारत सरकार का उपक्रम)

Union Bank of India

(A Government of India Undertaking)

ई-नीलामी बिक्री सूचना

केन्द्रीय कार्यालय:अयोध्या

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन). 2002 के नियम 8 (6) / 9 (1) के परन्तुक संपठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित का प्रवर्तन, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्री नोटिस।

एतद्वारा जनसामान्य एवं विशेषकर ऋणकर्ता(ओं) एवं जमानतकर्ता(ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/चार्ज की गई है, जिसका सांकेतिक/भौतिक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की संभलित शाखाएं (सुरक्षित लेनदार) के संभलित ऋणकर्ताओं एवं जमानतकर्ताओं से संबंधित देय वस्तुओं की वसूली के लिए बंधक सम्पत्तियों की बिक्री "जो है जहाँ है", "जो है जैसी है" एवं "जैसी भी स्थिति में है" एवं "बिना किसी दावे के आधार पर" के आधार पर दिनांक 10.09.2026 को दोपहर 12:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक की जायेगी, जैसा कि निम्नलिखित है। आरक्षित राशि एवं घरोहर राशि का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	ऋणी/जमानतकर्ता/कानूनी उत्तराधिकारी का नाम एवं पता एवं शाखा	नीलाम की जाने वाली सम्पत्तियों का विवरण	1. आरक्षित राशि	2. जमा घरोहर राशि	3. बटोलती राशि	1. प्राधिकृत अधिकारी का नाम	2. समर्थ सूत्र	3. प्राधिकृत अधिकारी की ईमेल आईडी	बकाया वस्तुओं का ब्याज एवं लागत सहित	भार का विवरण
										कब्जा का प्रकार

शाला: बहराइच शाखा (64070) पानी की टंकी का चौराहा, एस.एन. प्लाजा के पास, जिला बहराइच (यूपी.) -271801, मोबाइल: 7007424481

1. ऋणी: 1(अ). मेरसर् हाई टेक एजेंसी, प्रोप. श्री मोहम्मद अमजद खान पुत्र श्री अंसार खान उर्फ मुने खान, निवासी मोहल्ला - नाजिरपुरा, मकान नंबर 354, परगना /तहसील- बहराइच, जिला-बहराइच, उ.प्र., -229001	2. ऋणी: 1(अ). मेरसर् हाई टेक एजेंसी, प्रोप. श्री मोहम्मद अमजद खान पुत्र श्री अंसार खान। चौहद्दी: पूर्व: सलीम का मकान, पश्चिम: 8 फिट चौड़ी गली; उत्तर: श्रीमती विलकिश खान का मकान; दक्षिण: स्वः श्री हकीम अंसार खान उर्फ मुने खान प्रोप. मेसर्स हाई	1. 8,57,000/- 2. 85,700/- 3. 8,570/-	1. श्री जुगल कुमार रस्तोगी 2. 8369134989 3. e.auctionhelpdesk@unionbankofindia.bank	रु. 2,89,199.59 प्लस ब्याज दि 29.10.2018 से एवं अन्य ब्याज एवं लागत	ज्ञात नहीं सांकेतिक
---	--	--------------------------------------	---	---	---------------------

टेक एजेंसी, मोहल्ला- अकबरपुरा, पोस्ट- बहराइच, बहराइच, तहसील एवं जिला- बहराइच, उ.प्र.-271801

जमानतकर्ता: श्री मोहम्मद शकील पुत्र मोहम्मद खलील निवासी न्यू विशाल टेलर, डीआईसी के पास, पोस्ट एवं जिला - बहराइच- 271801

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया वेबसाइट पर दिए गए लिंक यानी <https://www.unionbankofindia.bank.in/auction-property/viewauction-property.aspx> एवं <https://baanknet.com> पर जाएं। पंजीकरण, ईएमडी भुगतान एवं बोली प्रक्रिया के नियमों के लिए, वेबसाइट <https://baanknet.com> पर जाएं। ऑनलाइन नीलामी में भाग लेने के लिए, बोलीकर्ता के पास वैलिड ई-मेल आईडी, क्रेडिट कार्ड, बैंक विवरण एवं सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड दस्तावेजों के अनुमोदन हेतु बोलीकर्ता/ खरीदार के पास "डिजिटलकर फेसिलिटी" होनी चाहिए। बोलीकर्ता/ खरीदार वेबसाइट के होम पेज पर दिए गए बायर मैनुअल से गाइड हो सकते हैं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियमों के अनुसार बिक्री के नियम एवं शर्तों का सख्ती से पालन किया जाएगा।

सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/नियम 9 (1) के अंतर्गत वैधानिक 15 दिवसीय बिक्री नोटिस

इसे सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6)/ संपादित नियम 9 (1) के अंतर्गत उक्त तिथि को की जा रही ई-नीलामी/ बिक्री के सम्बन्ध में उक्त ऋण के बकाया राशि वाले ऋणकर्ता/ जमानतकर्ता को जारी किया हुआ नोटिस भी माना जाये।

दिनांक: 21.08.2026 स्थान: बहराइच

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



पंजाब नैशनल बैंक

.....भरोसे का प्रतीक

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

आसित वसूली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली

पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज- I, दिल्ली-110091

ईमेल- cs8075@pnb.bank.in, फोन- 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का सांकेतिक/ वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारंटर(री), आरक्षित मूल्य और घरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

क्र.सं.	शाखा का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
	खाते / कर्जदार का नाम एवं पता		कब्जा सूचना की तारीख	
1	शाखा:- फरीदाबाद ओल्ड श्री वहीद खान पुत्र श्री जमालूदीन (उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) पता 1: मकान संख्या 106, गाँव धौज, एमसीएफ, जिला फरीदाबाद पता 2: प्लॉट संख्या 2567, सेक्टर 56-56A, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-121002 श्रीमती साहिदा पत्नी श्री वहीद खान (सह-उधारकर्ता एवं बंधककर्ता) पता 1: मकान संख्या 106, गाँव धौज, एमसीएफ, जिला फरीदाबाद पता 2: प्लॉट संख्या 2567, सेक्टर 56-56A, अर्बन एस्टेट, फरीदाबाद, हरियाणा-121002	रिहायशी संपत्ति जिसका क्षेत्रफल 54 वर्ग गज है, प्लॉट संख्या 2567, सेक्टर 56-56A, हुडा, फरीदाबाद में स्थित है। चौहद्दी:- पूर्व: 25 फीट चौड़ी सड़क उत्तर: प्लॉट संख्या 2568 दक्षिण: प्लॉट संख्या 2566	01.06.2026 19.08.2026	₹ 21,24,412 /- (इक्कीस लाख चौबीस हजार बार सौ बारह रुपये मात्र) और साथ ही 31.05.2026 से वसूली होने तक का अतिरिक्त ब्याज तथा बैंक द्वारा किया गया चार्ज।

दिनांक : 20.08.2026, स्थान : फरीदाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	ख) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	ग) सरकारी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	घ) कब्जा की स्थिति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक
06.06.2024	रु. 21,28,27,606.72 पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय।	21.08.2024	भौतिक

पट्टाधारित संपत्ति पर साम्यिक बंधक (ईएम), जो 129-A, औद्योगिक क्षेत्र, मेहतपुर, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 4325 वर्ग मीटर है, तथा जो मैसर्स आर एम मिनारल्स प्रा. लि. के नाम पर है, सिर्फ जमीन और इमारत (प्लॉट और मशीनरी के बिना) (भूमिहीन व्यक्तियों एवं गैर-हिमाचली व्यक्तियों को उक्त संपत्ति की बिक्री पर प्रतिबंध है।)

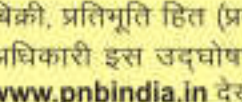
ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "वास्तव रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (6) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : <https://baanknet.com> & www.pnbindia.in देखें। (5) सभी सांघिक बकाया/ अटेंडेंट शुल्क/ पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणमार में ग्रहणाधिकार सांघिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक: 24.08.2026, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक



पंजाब नैशनल बैंक

.....भरोसे का प्रतीक

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

आसित वसूली प्रबंधन शाखा, पूर्वी दिल्ली

पॉकेट-ई, मयूर विहार फेज- I, दिल्ली-110091

ईमेल- cs8075@pnb.bank.in, फोन- 011-22779758, 22785289

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी बिक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का सांकेतिक/ वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(री) और गारंटर(री), आरक्षित मूल्य और घरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

क्र.सं.	शाखा का नाम	अचल सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि (धारा 13/2 नोटिस में उल्लिखित राशि)
	खाते का नाम		कब्जा सूचना की तारीख	
1	शाखा: राजगढ़, दिल्ली (042410) मैसर्स आर एम मिनारल्स प्रा. लि. (उधारकर्ता) पता: 205-206, दूसरी मंजिल, प्लॉट नं. 14, (एल.एस.सी.) नीलकांठ चौबट-II, सीपी एक्सेलेव, दिल्ली-110092। साथ ही: 129A, मेहतपुर औद्योगिक क्षेत्र, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। श्री मदन मोहन वर्मा पुत्र श्री नाथी लाल वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए-ब्लॉक (एल.एस.सी.), सुरजमल विहार, दिल्ली-110092। साथ ही: 138, प्रथम तल, हरगोविंद एक्सेलेव, कड़कड़भूमा मेट्रो स्टेशन के निकट, दिल्ली-110092। साथ ही: 31, गुजरात विहार, दिल्ली-110092। श्रीमती प्रमा वर्मा पत्नी श्री मदन मोहन वर्मा (निदेशक/गारंटर) पता: 303-304, कृत प्लाजा, तीसरी मंजिल, ए-ब्लॉक (एल.एस.सी.), सुरजमल विहार, दिल्ली-110092। साथ ही: 138, प्रथम तल, हरगोविंद एक्सेलेव, कड़कड़भूमा मेट्रो स्टेशन के निकट, दिल्ली-110092। साथ ही: 31, गुजरात विहार, दिल्ली-110092।	रु. 21,28,27,606.72 पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय।	06.06.2024 21.08.2024	भौतिक
2	शाखा: एजराएमी ईस्ट दिल्ली (807500) श्री राजेश सिंह, पता: RZ/6K/11/563, खसरा नं. 650, राजस्व एस्टेट, ग्राम नसीरपुर, कॉलोनी इंड्रा पार्क, पालम कॉलोनी, दिल्ली-110045। श्री राजेश सिंह, पता: RZ-137, गली नं. 2-प्रथम तल, कैलाश पुरी एस्टेट, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110045। श्री राजेश सिंह, पता: A-2/192, न्यू कॉडली, मयूर विहार फेज-3, दिल्ली-110095। श्री राजेश सिंह (कार्यालय का पता) सिलवर जॉन, RZ-26P/129, मंगल बाजार रोड, इंड्रा पार्क, दिल्ली।	रु. 22.66 लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय।	04.09.2025 03.02.2026	भौतिक
3	शाखा: पहाड़गंज, दिल्ली (013000) श्रीमती नेहा सोनी पत्नी श्री राम चंदर सोनी (उधारकर्ता), पता: 354, गली चांदी वाली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055। श्री राम चंदर सोनी (उधारकर्ता), पता: 354, गली चांदी वाली, पहाड़गंज, नई दिल्ली-110055।	रु. 27.44 लाख + पूर्ण और अंतिम भुगतान की तिथि तक अतिरिक्त ब्याज, अन्य शुल्क और व्यय।	05.06.2021 01.10.2021	भौतिक

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें :

बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "वास्तव रहित आधार पर" बेचा जा रहा है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफॉर्म वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (6) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : <https://baanknet.com> & www.pnbindia.in देखें। (5) सभी सांघिक बकाया/ अटेंडेंट शुल्क/ पंजीकरण शुल्क, स्टॉप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणमार में ग्रहणाधिकार सांघिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पृष्ठताछ करें।

सरफासी अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत बिक्री सूचना

दिनांक: 24.08.2026, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

epaper.jansatta.com

Chandigarh